| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Haryana . . . . . | 8.30 | 8.50 | 7 | Rice, Wheat, Gram. |
| 6 | Karnataka . . . . . | 7.20 | 7.40 | 9 | Rice, Arhar. |
| 7 | Madhya Pradesh . . . . . | 17.00 | 18.50 | 30 | Rice, Wheat, Maize, Gram, Arhar. |
| 8 | Maharashtra . . . . . | 10.50 | 10.80 | 12 | Rice, Arhar. |
| 9 | Orissa . . . . . | 7.30 | 8.15 | 5 | Rice. |
| 10 | Punjab . . . . . | 17.50 | 18.00 | 3 | Rice, Wheat |
| 11 | Rajasthan . . . . . | 10.48 | 11.30 | 14 | Wheat, Maize, Gram. |
| 12 | Tamil Nadu . . . . . | 7.47 | 8.03 | 8 | Rice |
| 13 | Uttar Pradesh . . . . . | 33.40 | 36.30 | 38 | Rice, Wheat Maize, Gram, Arhar. |
| 14 | West Bengal . . . . . | 9.80 | 10.60 | 7 | Rice. |
| | | 160.62 | 172.00 | 169 | |

**Delay in production by Godavari Fertilizer Factory at Kakinda**

2072. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a major fertilizer factory at Kakinada (Godavari Fertilizer Factory) has not gone into production for want of inauguration of the factory by a VVIP; and

(b) what steps would be taken to get this factory in the production line in view of the needs for incrased fertilizer for stepping up of agricultural production?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) No, Sir.

(b) The fertilizer plant will commence production as soon as raw materials and power are available on a regular basis.

**रोजगार के लिए विकलांग आदि व्यक्तियों के लिये छूट**

**2073. श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दृष्टिहीनों, विकलांग व्यक्तियों अथवा विधवा-स्त्रियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में रोजगार-केन्द्रों द्वारा उन्हें कोई छूट अथवा विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण के बाद उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने में सामान्यतः कितना समय लगता है ;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्तियों को रोजगार केन्द्रों में अपना पंजीकरण कराने के 2 या 3 वर्षों बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार एक निर्धारित अवधि के अंदर ऐसे व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) नहीं, और (ख) जी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से केन्द्र सरकार में रोजगार के लिए नेत्रहीनों और विधवाओं सहित विकलांग व्यक्तियों को अनेक रियायतें और छूट दी गई हैं। इन रियायतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)।

(ग) से (च) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इस प्रकार के नौकरी चाहने वालें व्यक्तियों की नियुक्ति रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। तथापि, रोजगार कार्यालय सरकारी संगठनों में भर्ती के लिए कई अभिकरणों में से केवल एक अभिकरण नहीं है और अन्य अभिकरण जैसे कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे सेवा आयोग आदि भी केन्द्र सरकार के संगठनों के लिए भर्ती करते हैं, जहां योग्य उम्मीदवार रोजगार कार्यालयों में अपने पंजीकरण के बिना सीधे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि सरकार विकलांग व्यक्तियों की नियोज्यता में वृद्धि करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है, उनके रोजगार के लिए कोई विशेष अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है।

**विवरण**

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार में रोजगार के लिए दृष्टिहीनों और विधवाओं सहित विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित रियायत और छूट उपलब्ध हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार में ग्रुप "ग" और "घ" के पदों के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नामों के सम्प्रेषण के उद्देश्य हेतु विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता-iii की स्वीकृति।

(ii) केन्द्रीय सरकार में सीधे भर्ती द्वारा भरी जाने वाली ग्रुप "ग" और "घ" के पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण। इसी प्रकार के आरक्षण अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। रोजगार कार्यालय इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियों के प्रति विकलांग व्यक्तियों को प्रायोजित करते हैं।

(iii) विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार में ग्रुप "ग" और "घ" के पदों में रोजगार के लिए उपलब्ध 10 वर्षों तक ऊपरी आयु में छूट।

(iv) विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए चिकित्सा मानदण्डों में छूट।

(v) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को टंकण अर्हता में छूट।

(vi) विकलांग व्यक्तियों को चयन के मानक में छूट, बशर्ते कि वे नियुक्ति के लिए फिट हों।

(vii) केवल विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रोजगार कार्यालय चने हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यालयों तथा

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में विशेष सैल स्थापित किये गये हैं।

(viii) सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए सरकार ने विधवाओं को ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक का छूट दी है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 10 वर्ष तक)।

**Renting out of Government quarters in Pushp Vihar, New Delhi**

2074. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Type-II and Type-III quarters in Government Colony Sector-4, Pushp Vihar, M.B. Road, New Delhi have been rented out;

(b) whether Government have made any inquiry/taken any action in this regard; and

(c) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) On the basis of the inspections being conducted by the Directorate of Estates in Sector-4, Push Vihar M.B. Road, some instances of alleged subletting have come to their notice and action is being taken as per rules.

**Punjab Wakf Board**

2075. SHRI SHAMIM AHMED SIDDIQUI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Wakf Board still continues to be superseded; if so, since when;

(b) what are the reasons therefor;

(c) whether demands have been made from the various sections for re-constitution of the Punjab Wakf Board;

(d) whether it is constitutionally valid to keep the Punjab Wakf Board superseded for such a long period; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) Yes, Sir. Since 11-11-1981.

(b) The Board was superseded because the Central Government had formed an opinion under Section 64 of the Wakf Act, 1954 that the Punjab Wakf Board was unable to perform, had persistently made default in the performance of the duty imposed on it by or under the said Act and had exceeded|| abused its powers. The Board has continued to be under supersession as the Central Govt. has been anxious to ensure that the Board regains its effective functioning which had been impaired during the period of the superseded Board.

(c) Yes, Sir. A few requests have been received in this behalf.

(d) and (e) The provisions for superseeding a Wakf Board and for subsequent extensions in the period of supersession are contained in section 64 of the Wakf Act, 154 and no time limit is prescribed upto which such supersession can be continued.

**मैसर्स हाइडल कंस्ट्रेक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को भुगतान न किया जाना**

**2076. श्री सुनील कुमार पट्टनायक**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स हाइडल कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटड, इंजीनियर्स एण्ड कांट्रेक्टर्स 78 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019, वर्षों तक ठेकेदारों को कमीशन आधार पर सौंपे गये निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों में वितरित किये जाने के लिए समय पर भुगतान नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे श्रमिकों को समय पर अपनी दैनिक मजदूरी नहीं मिलती है ;